म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

लोक अदालत में 4020 बिजली प्रकरणों में हुआ समझौता
पूर्व क्षेत्र वि.वि.कंपनी को मिले 3 करोड 63 लाख रूपये

जबलपुर, 14 जुलाई 2019,

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा तथा शहडोल संभागों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 तथा धारा 138 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओ के 4020 प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा समझौता किया गया जिससे कंपनी को 3 करोड 63 लाख 12 हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ । लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं, समस्त कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवाट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक के लोड वाले औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को प्रकरणों में समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी । पिछली लोक अदालत में कंपनी क्षेत्र में निराकृत 3751 प्रकरणों की तुलना में इस लोक अदालत में 269 अधिक प्रकरणों में समझौता किया गया ।

कंपनी की विजलेंस बिंग के सी.जी.एम. श्री ए.के.पाण्डेय ने बताया कि जबलपुर रीजन में सर्वाधिक 1933 प्रकरणों में समझौता हुआ जिसमें 189.07 लाख रूपये जमा किए गए, जबकि सागर रीजन में 1216 प्रकरणों में 92.14 लाख रूपये, रीवा रीजन में 792 प्रकरणों में 76.15 लाख रूपये तथा शहडोल रीजन में 79 प्रकरणों में 5.76 लाख रूपये जमा हुए।

कंपनी क्षेत्र के चारों रीजन में न्यायालयों में लंबित 1573 प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 126.27 लाख रूपये की राशि जमा करने पर संबंधित उपभोक्ताओं को न्यायालयीन कार्रवाई से निजात मिल गई । कंपनी क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में लंबित 2447 प्रकरणों, जो न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके थे, में 236.85 लाख रूपये की राशि जमा करवाकर प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया गया ।

समाचार कमांक : 31

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी

Scanned by CamScanner